

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/E/2019/ 605

दिनांक: 11/4/19

-आदेश:-

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) का उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. नियम-112 के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र0स0	कार्मिका का नाम	पदस्थापन स्थान	खाते में शेष अवकाश	अवकाश अवधि
1.	शोभा	उप केन्द्र गुमानपुरा, खण्ड दांता, सीकर	129 दिवस का पी.एल	1.दिनांक 26.12.2017 से 25.12.2019 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 26.12.2019 से 23.04.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 24.04.2020 से 23.12.2020 तक 244 दिवस का असाधारण अवकाश।
2.	समता	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्री कपिल देव राज सामान्य चिकि. नीमकाथाना सीकर	91 दिवस का पी.एल	1.दिनांक 26.09.2018 से 25.09.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 26.09.2020 से 25.12.2020 तक 91 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3.	सुशीला कुमारी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोहर, हनुमानगढ	300 दिवस का पी.एल	1.दिनांक 26.05.2018 से 25.05.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 26.05.2020 से 22.09.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 23.09.2020 से 21.03.2021 तक 180 दिवस असाधारण अवकाश।
4.	समता पिंगोलिया	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आमेर, जयपुर-प्रथम	120 दिवस का पी.एल एवं 85 दिवस का एच.पी.एल	1.दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 13.04.2020 से 10.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 11.08.2020 से 12.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
5.	सुमन कुमारी	उप स्वास्थ्य केन्द्र बाहला, खण्ड जैसलमेर	120 दिवस का पी.एल एवं 22 दिवस का एच.पी.एल	1.दिनांक 11.04.2018 से 10.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 11.04.2020 से 08.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 09.08.2020 से 10.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
6	मौसमी	उप स्वास्थ्य केन्द्र दरबारीखेडा, खण्ड रेवदर, सिरौही	94 दिवस का पी.एल	1.दिनांक 22.05.2018 से 21.05.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 22.05.2020 से 21.08.2020 तक 92 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 22.08.2020 से 21.05.2021 तक 273 दिवस का असाधारण अवकाश।
7	प्रेम कुमारी	उप स्वास्थ्य केन्द्र छाजोली, खण्ड जायल, नागौर	120 दिवस का पी.एल एवं 44 दिवस का एच.पी.एल	1.दिनांक 27.12.2017 से 26.12.2019 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 27.12.2019 से 24.04.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 25.04.2020 से 26.12.2020 तक 246 दिवस का असाधारण अवकाश।
8	भावना शर्मा	उप स्वास्थ्य केन्द्र तामलोर, खण्ड शिव, बाडमेर	95 दिवस का पी.एल	1.दिनांक 17.10.2016 से 16.10.2018 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 17.10.2018 से 19.01.2019 तक 95 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 20.01.2019 से 16.10.2019 तक 270 दिवस का असाधारण अवकाश।
9	चन्द्रा कोली	उप स्वास्थ्य केन्द्र तिलाना, खण्ड श्रीनगर, अजमेर	115 दिवस का पी.एल एवं 100 दिवस का एच.पी.एल	1.दिनांक 11.09.2018 से 10.09.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 11.09.2020 से 03.01.2021 तक 115 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 04.01.2021 से 10.09.2021 तक 250 दिवस का असाधारण अवकाश।

10	ललिता कुमारी	उप स्वास्थ्य केन्द्र अल्लापुर, खण्ड खण्डार, सर्वाईमाधोपुर	179 दिवस का पी.एल	1. दिनांक 08.09.2018 से 09.09.2018 तक 2 दिवस का उपाजित अवकाश। 2. दिनांक 10.09.2018 से 09.09.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 3. दिनांक 10.09.2020 से 05.01.2021 तक 118 दिवस का उपाजित अवकाश। 4. दिनांक 06.01.2021 से 09.09.2021 तक 247 दिवस का असाधारण अवकाश।
11	सरोज देवी	उप स्वास्थ्य केन्द्र रतनपुरा, खण्ड नोहर, हनुमानगढ	164 दिवस का पी.एल	1. दिनांक 11.09.2018 से 10.09.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 11.09.2020 से 08.01.2021 तक 120 दिवस का उपाजित अवकाश। 3. दिनांक 09.01.2021 से 07.07.2021 तक 180 दिवस का असाधारण अवकाश।
12	कृष्णा कुमारी	उप स्वास्थ्य केन्द्र थालडका, खण्ड नोहर, हनुमानगढ	124 दिवस का पी.एल	1. दिनांक 11.09.2018 से 10.09.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 11.09.2020 से 08.01.2021 तक 120 दिवस का उपाजित अवकाश। 3. दिनांक 09.01.2021 से 07.07.2021 तक 180 दिवस का असाधारण अवकाश।
13	राखी मीणा	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर	124 दिवस का पी.एल	1. दिनांक 28.12.2017 से 27.12.2019 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 28.12.2019 से 25.04.2020 तक 120 दिवस का उपाजित अवकाश। 3. दिनांक 26.04.2020 से 27.12.2020 तक 246 दिवस का असाधारण अवकाश।
14	प्रवीणा भट्ट	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बडगांव, उदयपुर	69 दिवस का पी.एल	1. दिनांक 12.04.2018 से 11.04.2020 तक दो वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 12.04.2020 से 19.06.2020 तक 69 दिवस का उपाजित अवकाश। 3. दिनांक 20.06.2020 से 11.04.2021 तक 296 दिवस का असाधारण अवकाश।
15	पुष्पा देवी	उप स्वास्थ्य केन्द्र टहला, खण्ड रिटबंडी, नागौर	108 दिवस का पी.एल एवं 80 दिवस का एच.पी.एल	1. दिनांक 11.09.2018 से 10.09.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 11.09.2020 से 27.12.2020 तक 108 दिवस का उपाजित अवकाश। 3. दिनांक 28.12.2020 से 08.01.2021 तक 12 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 09.01.2021 से 10.09.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
16	मंजु कुमारी	उप स्वास्थ्य केन्द्र मीठा मांजरा, खण्ड जायल, नागौर	99 दिवस का पी.एल एवं 100 दिवस का एच.पी.एल	1. दिनांक 22.12.2017 से 21.12.2019 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 22.12.2019 से 29.03.2020 तक 99 दिवस का उपाजित अवकाश। 3. दिनांक 30.03.2020 से 19.04.2020 तक 21 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 20.04.2020 से 21.12.2021 तक 246 दिवस का असाधारण अवकाश।
17	सुनिता	उप स्वास्थ्य केन्द्र ठिचौली, पीएचसी घरडाना खुर्द खण्ड बुहाना, सुन्डुनू	104 दिवस का पी.एल एवं 71 दिवस का एच.पी.एल	1. दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 13.04.2020 से 25.07.2020 तक 104 दिवस का उपाजित अवकाश। 3. दिनांक 26.07.2020 से 10.08.2020 तक 16 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 11.08.2020 से 12.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

18	मन्जू नागौरा	उप स्वास्थ्य केन्द्र साण्डिया ब्लॉक सोजत सिटी, पाली	154 दिवस का पी.एल एवं 140 दिवस का एच.पी.एल	1. दिनांक 25.05.2018 से 24.05.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 25.05.2020 से 21.09.2020 तक 120 दिवस का उपाजित अवकाश। 3. दिनांक 22.09.2020 से 24.05.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
----	--------------	---	--	--

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 11/4/19

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/E/2019/ 605

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ प्रधानाचार्य, जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र को भेजकर लेख है कि आप अपने त्तर से आपके अधीन कार्यरत/अध्ययनरत संबंधित कार्मिका को उक्त स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें।
2. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर